

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- 620 /XXIV(4)/2018-03(01)/2016
देहरादून: दिनांक 13 अप्रैल, 2018

कार्यालय आदेश

निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक-डिग्री सेवा-1/एक-21/13381/2017-18, दिनांक 10.01.2018 के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार प्रशासनिक आधार पर जनहित में निम्न तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार प्राचार्य को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थल से स्थानान्तरित करते हुए कॉलम-5 में उल्लिखित राजकीय महाविद्यालय में एतद्वारा तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल
1	2	3	4	5
1	डॉ० गोविन्द सिंह रावत	प्राचार्य	राजकीय महाविद्यालय, नागनाथ पोखरी	राजकीय महाविद्यालय, खटीमा


2- सम्बन्धित प्राचार्य को निर्देशित किया जाता है कि वह आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपने नवीन तैनाती स्थान पर अनिवार्य रूप से योगदान सुनिश्चित कर सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डॉ० रणवीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 620 (1)/XXIV(4)/2018-03(01)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी, नैनीताल।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी, नैनीताल द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
9. सम्बन्धित कार्मिक/प्राचार्य द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम०एम० सेमवाल)
संयुक्त सचिव